

सीवीसी के प्रमुख दिशा निर्देश

| | | |
|---|---|-----------|
| 1 | मर्दें जिनके लिए आवेदन पत्र/ प्रोफार्मा/विधि नियम तथा इन्हें शासित करने वाली प्रक्रियाओं के वेबसाइट पर प्रविष्ट की जाये। | लागू नहीं |
| 2 | व्यय संविदाएं जिनके लिए पंजीकृत / अनुमोदित सूची रखी जाती है, के ठेकेदारों/ आपूर्ति कर्ताओं /विक्रेताओं का रजिस्ट्रेशन। | लागू नहीं |
| 3 | अर्जित संविदाएं जिनके लिए पंजीकृत /अनुमोदित सूची रखी जाती है उन ठेकेदारों का रजिस्ट्रेशन। | लागू नहीं |
| 4 | भंडार विभाग द्वारा की गई खरीद के संबंध में व्यापार समूह का या कोटिवार प्रतिष्ठानों का रजिस्ट्रेशन। | लागू नहीं |
| 5 | चिकित्सा आपूर्ति कर्ताओं / स्वास्थ्य देखरेख के लिये प्रतिष्ठानों / अस्पतालों का पंजीकरण। | लागू नहीं |
| 6 | उपर्युक्त मद सं. 1, 2, 3 एवं 4 के संबंध में पंजीकरण/ पुनःपंजीकरण का नवीनीकरण। | लागू नहीं |
| 7 | निदेशालय परिचालन प्रक्रियाओं डी. ओ. पी तथा तकनीकी भर्ती अनुसूची एनसीआर के साथ आरडीएसओ द्वारा विक्रेताओं का अनुमोदन यथा भाग । या भाग ॥ दोनों के स्त्रोतानुसार इन्हें सामग्री आवंटित किये जाने के लिये स्त्रोतों के अनुमोदन करने के लिये कोर, डीएलडब्ल्यू, सीएलडब्ल्यू, आईसीएफ, आरसीए द्वारा ऐसी कार्यवाही की जानी चाहिए। | लागू नहीं |
| 8 | आरडीएसओ, कोर, डीएलडब्ल्यू, सीएलडब्ल्यू, आईसीएफ, आरसीएफ द्वारा आरडीएसओ यथा भाग । या भाग ॥ दोनों के स्त्रोतानुसार विक्रेताओं के अनुमोदन का नवीनीकरण। | लागू नहीं |

| | | |
|----|---|-----------|
| 9 | भाग II की सूची से भाग I की सूची तक विक्रेताओं का अपग्रेडेशन। | लागू नहीं |
| 10 | आरटीएसए तथा सीबीए लाइसेंस । | लागू नहीं |
| 11 | पीसीओ बूथ लाइसेंस। | लागू नहीं |
| 12 | कॉमर्शियल प्लॉट। | लागू नहीं |
| 13 | स्टैंकिंग अनुमति। | लागू नहीं |
| 14 | फूड-प्लाजा का लाइसेंस देना। | लागू नहीं |
| 15 | “भुगतान कर काम में लो” शौचालय लाइसेंस। | लागू नहीं |
| 16 | पार्सल हैंडिल करना तथा लाइसेंस देना। | लागू नहीं |
| 17 | मॉगपत्र का रजि. तथा रैकों का आवंटन। | लागू नहीं |
| 18 | पर्यटन कार,कोच तथा गाडी बुकिंग। | लागू नहीं |
| 19 | दावा क्षतिपूर्ति का आवेदन पत्र। | लागू नहीं |
| 20 | माल भाडा तथा किराये को वापिस भुगतान करने के लिए आवेदन पत्र। | लागू नहीं |
| 21 | स्थान शुल्क तथा विलंब शुल्क की माफी। | लागू नहीं |
| 22 | संविदा के आधार पर परामर्शदाता चिकित्सकों की नियुक्तियाँ तथा इनका पुनर्नवीनीकरण। | लागू नहीं |
| 23 | सांस्कृतिक कोटा, स्पोर्ट्स कोटा,विकलांग कोटा तथा स्काउट गाइड कोटा के लिये नियुक्तियाँ/ इनके लिये रिक्तियाँ/ परीक्षाएं वेबसाइट पर भी होनी चाहिए। | लागू नहीं |
| 24 | अनुकंपा के आधार पर अपेक्षित नियुक्तियों के मामले। | लागू नहीं |
| 25 | ठेकेदारों / आपूर्तिकर्ताओं इत्यादि के सभी बिल भुगतान का स्तर। | लागू नहीं |
| 26 | रेलवे भर्ती बोर्ड तथा आरपीएफ / आरपीएसएफ द्वारा भर्ती- | लागू नहीं |

| | | |
|----|---|-----------|
| | <p>क. रोजगार सूचनाएं जिनमें रिक्ति सथतियों, श्रेणी, राज्य आरपीएफ /आरपीएसएफ ही के मामले में समुदायवार, पात्रता, मापदंड इत्यादि दर्शाएं।</p> <p>ख. आवश्यक सूचना के साथ आवेदनों की प्रति की स्पष्ट स्थिति ।</p> <p>ग. आवेदन पत्रों के अस्वीकार का विवरण।</p> <p>घ. बुलावा पत्रों को जारी करने का विवरण।</p> <p>च. परीक्षाओं की तिथि, समय तथा स्थान।</p> <p>छ. परिणाम तथा पैनल का प्रकाशन।</p> <p>ज. परिणाम रोके जाने या परीक्षा निरस्तीकरण के संबंध में सूचना।</p> | लागू नहीं |
| 27 | <p>मूल्य की निविदाएं / कार्य संविदाओं का विवरण - इंजीनियरिंग / यांत्रिक / इलेक्ट्रिकल / एस एंड टी तथा चिकित्सा विभाग के संबंध में 01 करोड रु, वाणिज्य विभागों के लिये 50 लाख रु. और कीमत की सभी क्रय - भंडार संविदाओं के माध्यम से क्रय की गई 20 लाख रु.। अतिरिक्त विवरण कार्य प्रारंभ की वास्तविक तिथि / पूरा करने की वास्तविक तिथि /विलंब का कारण, यदि कोई हो।</p> | लागू नहीं |
| 28 | <p>क्रं. सं. 26 के अनुसार सभी निर्माण संविदाएं / क्रय का मासिक सारांश।</p> | लागू नहीं |
| 29 | <p>सभी प्रकार के लाइसेंस, अनुज्ञा, क्लीयरेंस।</p> | लागू नहीं |
| 30 | <p>सभी प्रकार के आवेदन पत्र / प्रोफार्मा डाउनलोड किए जाने के रूप में वेबसाइट पर उपलब्ध है। आवेदन फार्मों के प्राप्त हो जाने के बाद, दस्तावेजों/ सूचनाओं के बारे में पाई गई कमियों को प्रस्तुत किया जाए।</p> | लागू नहीं |
| 31 | <p>व्यक्तिगत आवेदन/ मामलों के स्तर को उपलब्ध कराया जाए।</p> | लागू नहीं |
